INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

IN-UP02871770806670V

e-Stamp

₹100

Certificate No.	:	IN-UP02871770806670V
Certificate Issued Date	:	01-Sep-2023 02:40 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14312204/ DHAMPUR/ UP-BJN
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14312204013506469980030V
Purchased by	:	CHAIRMAN AND SECRETARY P C C O P CHAKRAJMAL
Description of Document	:	Article 4 Affidavit
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	SATISH KUMAR RANA AND MAYANK KUMAR
Second Party	:	CHAIRMAN AND SECRETARY P C C O P CHAKRAJMAL
Stamp Duty Paid By	:	SATISH KUMAR RANA AND MAYANK KUMAR
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	100 (One Hundred only)

NOTARIAL NOTARIAL

NOTARY PUBLIC GOVERNMENT OF INDIA

MOHD. ZEESHAN ACC CODE-UP14312204 DHAMPUR UTTAR PRADESH

₹100

IN-UP02871770806670V

Please write or type below this line

NOTARY PUBLIC GOVERNMENT OF INDIA

S. Rana

ATTESTED

PARSHURAM SINGH
ADVOCATE NOTARY PUBLIC
Tehsil-Dhampur, Distt.-Bijnor
Reg. No. 16935/20, Cer. Exp. No. 04/02/25

Statutory Alert:
1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

हम **सतीश कुमार राणा** एवं **मयंक कुमार** क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव **बैस शिक्षा प्रसार समिति, एम.एम.आई.जी.बी.–48 रामगंगा बिहार, मुरादाबाद** शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते हैं–

1. क्य कि हमारी सोसाइटी द्वारा **पृथ्वीराज चौहान कॉलेज ऑफ फॉर्मेसी, चकराजमल, धामपुर (बिजनौर)** नामक डिप्लोमा इन फॉर्मेसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023–24 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारी सोसायटी के नाम चकराजमल धामपुर में गाटा संख्या 500 एवं 501 रकबा क्रमशः 0.974 हेक्टेयर एवं 1.5815 हेक्टेयर (कुल रकबा 2.5555 हेक्टेयर) भूमि है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि उपरोक्त पते पर सोसायटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 500 एवं 501 रकबा क्रमशः 0.152 हेक्टेयर एवं 0.658 हेक्टेयर, (कुल रकबा 0.8100 हेक्टेयर) पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फ़ार्मेसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसायटी की बैठक दिनांक **31.10.2019** द्वारा पारित किया गया है।
5. यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।
6. यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सासाइटी के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अन्तर्गत ही डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।
8. यह कि, इस संस्था में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्व पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्व संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्व कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई0टी0आई0 आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।
10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।

ATTESTED
PARSHURAM SINGH
ADVOCATE/NOTARY PUBLIC
Tehsil-Dhampur, Distt.-Bijnor
Reg. No. 16935/20, Cer. Exp. No 04/02/25

10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।
11. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी द्वारा सत्र प्रारम्भ के पूर्व की लिया जायेगा।
12. यह कि, शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलीभांति पालन करूंगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वार लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।
13. मैं घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कुटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरूद्व परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊंगा।

ह0 सचिव

ह0 अध्यक्ष

ATTESTED
PARSHURAM SINGH
ADVOCATE NOTARY PUBLIC
Tehsil-Dhampur, Distt.-Bijnor

NOTARY PUBLIC
PARSHURAM SINGH
Advocate/Notary
Tehsil Dhampur (Bijnor)
GOVERNMENT OF INDIA